

10⁰²
2022

प्राकृतिक वन्य जीव संरक्षण वारीगण
अनुपालन। अखिल भारतीय प्रतिवादीगण
उपलब्ध। गवाह अनुपालनी काकाज
लावामी गरी। अखिल भारतीय वारीगण
अथवा वारीगण स्वयं उपलब्ध नहीं है।
अतः प्रकृतिक वन्य जीव संरक्षण वारीगण
अनुपालन से शारीरिक किम्वदता है।
डिजिटल जारी है। प्राकृतिक वन्य जीव संरक्षण
वारीगण नम्बर से काम है।

2010
00015

(श्याम सुन्दर विलोड)
सहायक कलेक्टर एवं
मुख्य अधिकारी
विशेष (राज.)



मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ़ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ़

1. नारायण पिता देवा गुर्जर नि.सेंती मृतक के बजाय 1/1 जेती बेवा नारायण गुर्जर नि. सेंती चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़
2. हरिराम पिता देवा गुर्जर नि.सेंती चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़
3. धनराज पिता देवा गुर्जर नि.सेंती चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़

वादीगण

बनाम

1. श्री मांगू पिता दल्ला गुर्जर नि.सेंती चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़
2. डा.गंगाधर शर्मा पिता मुरलीधर शर्मा नि.प्रतापनगर चित्तौडगढ़
3. नगरपालिका चित्तौडगढ़ जरिये आयुक्त नगरपालिका चित्तौडगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी जी तहसीलदार सा.चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

प्र.सं. 84/2010 (GCMS 2010/00015)

वादी की ओर से वकील श्री. - की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री. छोगालाल जाट की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम सबूत मे खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 10.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)